न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, जैतारण (जिला. पाली) राज0

पीठासीन अधिकारी : श्री जे.पी. बैरवा, आर0ए0एस0

राजस्व वाद संख्या : 116/2011

वादी :-

1. श्री सीमेन्ट लि. (रास प्रोजेक्ट जरिये अमरीश कुमार शर्मा मैनेजर (लैण्ड एक्जीक्यूशन) जाति-ब्राह्मण उम्र-35 वर्ष निवासी हाल-मैनेजर श्री सीमेन्ट लि., रास मौजा-रास तहसील-जैतारण, जिला-पाली

बनाम

प्रतिवादीगण :-

1. अना पुत्र अनी फौत के
   कायम मुकाम :-
   1/1 ललित पुत्र अना
   1/2 सिकन्दर पुत्र अना
   1/3 सुरज पुत्र अना
   जातियान-मेहरात,निवासी-ढ़ाणी बगतपुरा तहसील-जैतारण, जिला-पाली
2. ढगला पुत्र भवाना
3. पपूड़ा पुत्र भवाना
4. किशना पुत्र नारा
5. मदन पुत्र नारा
6. तुलछी पुत्री नारा
7. सवाई पुत्र मला
8. छोटू पुत्र मला
   जातियान-मेहरात,निवासी-ढ़ाणी बगतपुरा तहसील-जैतारण, जिला-पाली
9. चन्दु पुत्र पीरू फौत
   के कायम मुकाम :-
   9/1 साबु पुत्र चन्दु
   9/2 दरियाव पुत्र चन्दु
   9/3 सुरेश पुत्र चन्दु
   9/4 दाखु बेवा चन्दु
   9/5 सेनुड़ी पुत्री चन्दु
   9/6 जीना पुत्री चन्दु
   जातियान-मेहरात,निवासी-ढ़ाणी बगतपुरा तहसील-जैतारण, जिला-पाली
   प्रतिवादी संख्या 9/5 सेनुड़ी व प्रतिवादी संख्या 9/6 जीना नाबालिग जरिये कुदरती वलिया माता दाखु बेवा चन्दु
10. मेहफूल पत्नि चन्द्रा
11. सायर पुत्र जफरू
12. सकीना पुत्री खाजू
13. भंवरू पुत्र नाथा
    जातियान-मेहरात,निवासी-ढ़ाणी बगतपुरा तहसील-जैतारण, जिला-पाली
14. कमलकिशोर पुत्र नौरतमल
    जाति-छीपा,निवासी-तेजा चौक,ब्यावर तहसील-ब्यावर, जिला-अजमेर
15. प्रेमचन्द्र पुत्र नौरतमल
    जाति-छीपा,निवासी-तेजा चौक, ब्यावर, जिला-अजमेर

उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

16. भीमा पुत्र कमा
17. विजय पुत्र कमा
18. हरी पुत्र जफरू
जातियान–मेहरात,निवासी–ढ़ाण बगतपुरा
तहसील–जैतारण, जिला–पाली
19. तहसीलदार, जैतारण
तहसील–जैतारण, जिला–पाली

राजस्व वाद बाबत् तकासमा आराजी व स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 तारीख रजू:.17/06/2011

उपस्थित:. 1. श्री चावण्डदान बारहठ, अधिवक्ता, वादी।

–:: निर्णय ::– दिनॉक:– 16/10/2017

वकील मय वादी ने एक राजस्व वाद बाबत् तकासमा आराजी व स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 53, 92ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, विरूद्ध प्रतिवादीगण इस आशय का प्रस्तुत कर निवेदन किया हैं कि वादी श्री सीमेन्ट लि0 कम्पनी अधिनियम 1956 के तहत् एक पब्लिक लि0 कम्पनी के रूप में पंजीबद्ध हैं। इस कम्पनी के सभी प्रकार के भूमि सम्बन्धित कार्यो के लिए बतौर मैनेजर श्री अमरीश कुमार शर्मा नियुक्त व कार्यरत हैं। कम्पनी के द्वारा कृषि भूमि के लिए तकास्मा व स्थाई निषेधाज्ञा का यह वाद श्रीमान् के समक्ष प्रस्तुत करने हेतु अधिकृत हैं व वाद पेश करने के कम्पनी का अधिकार पत्र संशोधित वाद पत्र के साथ पेश हैं। जिसे संशोधित वाद पत्र का एक भाग माना जावें। वादी कम्पनी का उक्त सीमेन्ट प्लोट बांगड़ सीमेन्ट रास के नाम का सरहद मौजा–भींवगढ़, पटवार हल्का–रास–द्वितीय, तहसील–जैतारण में कार्यरत हैं व उत्पादनरत हैं इस सीमेन्ट प्लांट में आवागमन के लिए सड़क की आवश्यकता होने पर ब्यावर से मेड़ता जाने वाली राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 39 से कम्पनी के प्लांट के खेड़ा गेट तक सड़क निर्माण हेतु भूमि की आवश्यकता होने पर वादी द्वारा सरहद मौजा–बगतपुरा में वाके आराजी खसरा नम्बर 2486 रकबा 4–11 बीघा किस्म चाही प्रथम, खसरा नम्बर 2487 रकबा 2–18 बीघा किस्म चाही प्रथम एवं खसरा नम्बर 2488 रकबा 1–14 बीघा किस्म चाही प्रथम, कुल किता–3 कुल रकबा 9–03 बीघा में से 1/9 हिस्से की भूमि के खातेदार काश्तकार से जरिये लिखित पंजीबद्ध बेचान के भूमि के खातेदारी अधिकार वादी ने क्रय किये व 1/9 हिस्से की भूमि जो मौके पर बटी थी व वादी की खरीद सुदा भूमि में वादी एवं प्रतिवादीगण ने जरिये आपसी सहमति से मौके पर भूमि का बंटवाड़ा कर वादी के हिस्से की भूमि में से सीमेन्ट प्लांट में से राष्ट्रीय राजमार्ग तक पक्की डामर सड़क का निर्माण किया, जो मौके पर चालु हैं व इससे कम्पनी के आवागमन के लिए मैटेरियल सीमेन्ट आदि का आवागमन हो रहा हैं व इस सड़क निर्माण बाबत् एक राजस्व वाद श्रीमान् के न्यायालय में पेश किया गया। जो राजस्व वाद संख्या 121/2005 छोगा व अन्य बनाम श्री सीमेन्ट व अन्य का श्रीमान् के न्यायालय में चला, जिसमें वादी व प्रतिवादीगण द्वारा फैक्ट्री के मुख्य दरवाजे जो खेड़ा गेट के नाम से जाना जाता हैं से लेकर राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 39 तक वादी का निजी खर्चे से पक्की डामर सड़क का रास्ता होना मंजूर किया, साथ में भूमि पर बटी हुई होना व यह सड़क वादी के हिस्से की भूमि पर होना भी प्रतिवादीगण द्वारा मंजूर किया गया व वादी द्वारा अपने हिस्से की खरीदी गई भूमि मौके पर बटी हुई होना व बेचान की जानकारी होना भी स्वीकार किया व इस बाबत् एक राजीनामा पेश कर राजीनामा के साथ प्रस्तुत नजरी नक्शे में दर्शाई सड़क व रास्ते को प्रतिवादीगण द्वारा मंजूर कर भविष्य में किसी प्रकर की बाधा, रुकावट आदि

उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

पैदा नहीं करने हेतु अपने आपको पाबन्द किया, उक्त राजीनामा दिनांक 07/02/2006 को एस.डी.एम. जैतारण द्वारा तस्दीक किया गया, उक्त राजीनामा व नजरी नक्शा की फोटो प्रति वाद के साथ पेश हैं जिसे वाद का एक भाग माना जावें। वाद के पद संख्या 2 में वर्णित कृषि भूमि खसरा नम्बर 2486 रकबा 4-11 बीघा किस्म चाही प्रथम, खसरा नम्बर 2487 रकबा 2-18 बीघा किस्म चाही प्रथम एवं खसरा नम्बर 2488 रकबा 1-14 बीघा किस्म चाही प्रथम, कुल किता-3 कुल रकबा 9-03 बीघा में वादी के 1/9 हिस्से की भूमि के रिकॉर्डेड काबिज खातेदर काश्तकार हैं इस रूप में वादी का नाम जमाबन्दी खतौनी में दर्ज हैं। उक्त भूमि को वाद में आगे वादग्रस्त आराजी के नाम से सम्बोधित किया जायेगा। उक्त राजस्व रेकर्ड की मौजूदा जमाबन्दी खतौनी व नक्शा ट्रेश की प्रमाणित प्रति वाद के साथ पेश की हैं। जिसे वाद का एक भाग माना जावें। वादग्रस्त कृषि भूमि में वादी के हिस्से की भूमि मौके पर बटी हुई हैं व वादी के कब्जे में हैं वादी के फैक्ट्री की सड़क बनी हुई हैं व चालु हैं व रास्ता हैं वादी के हिस्से की भूमि का खाता प्रतिवादी संख्या 1 से 18 के साथ संयुक्त रूप से दर्ज हैं व लगान शामलाती हैं। नक्शा ट्रेश में भी वादी के हिस्से की भूमि का अलग से तरमीम होकर हिस्सा अलग से दर्शाया हुआ नहीं हैं। इसलिए वादी ने प्रतिवादी संख्या 1 से 18 को मौके की स्थिति अनुसार बंटवाड़ा करवाकर खाते अलग दर्ज करवाने, हिस्से अनुसार लगान बंटवाने व बंटवाड़ा अनुसार नक्शा में तरमीम करवाने का दिनांक 22/05/2011 को कहा, मगर प्रतिवादी ने ऐसा करने से मना कर दिया, इसलिए दावा तकासमा आराजी खिलाफ प्रतिवादीगण के पेश हैं। वादी वादग्रस्त कृषि भूमि में अपने हिस्से की भूमि का रिकॉर्डेड काबिज खातेदार काश्तकार हैं। वादी की भूमि मौके पर बटी हुई हैं। मगर राजस्व रेकर्ड में वादी व प्रतिवादीगण का खाता शामलाती दर्ज हैं व नक्शा में भी बंटवाड़ा अनुसार हिस्से अलग से तरमीम कर अलग-अलग नहीं दर्शाये गये हैं व लगान भी शामलाती हैं। इसलिए वादी बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस के अपने हिस्से की भूमि का मौके पर बंटवाड़ा करवाने व वाद बंटवाड़ा नेखमबन्दी व पत्थरगढ़ी करवाने का अधिकारी हैं। वादी के हिस्से की भूमि का अलग से खाता दर्ज करवाने व अलग से खसरा नम्बर दर्ज करवाने व हिस्से का लगान बंटवाने बाद तकासमा वादी का हिस्सा अलग से नक्शा में जरिये तरमीम अलग दर्ज करवाने का वादी अधिकारी हैं। वादी द्वारा प्रतिवादीगण को ऐसा करने का कहने व प्रतिवादीगण ऐसा करने से मना करने पर वादी प्रतिवादीगण के खिलाफ तकासमा आराजी का वाद प्रस्तुत कर रहा हैं। इसलिए दावा तकासमा आराजी खिलाफ प्रतिवादीगण के पेश किया हैं। वादी व प्रतिवादीगण का खाता शामिल होने, नक्शा में तरमीम नहीं होने से प्रतिवादीगण मौके पर वादी के हिस्से की जमीन व उसमें निर्मित सड़क व सड़क के आवागमन में बाधा पैदा करने की दिनांक 22/05/2010 को एलानिया धमकी दी व कहा कि रास्ता रोक देंगे। वादी के कब्जे में दखलन्दाजी करेंगे। यदि प्रतिवादीगण द्वारा ऐसा किया गया तो वादी को प्रतिवादीगण के विरूद्ध बार-बार दिवानी व फौजदारी मुकदमें करने पड़ेगें। जिससे मल्टीप्लीसिटी ऑफ प्रोसिडिंग्स होगी। प्रतिवादीगण द्वारा ऐसा करने पर वादी उन्हें ऐसा हरगीज नहीं करने देंगे। जिससे मौके पर टण्टा फसाद व लड़ाई-झगड़ा होगा व ऐसा होने की स्थिति में वादी को अपूर्णीय क्षति होगी। वादी को होने वाली क्षति का मूल्यांकन रूपयों में नहीं किया जा सकता। इसलिए वादी प्रतिवादीगण के विरुद्ध स्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने का अधिकारी हैं। इसलिए दावा स्थाई निषेधाज्ञा खिलाफ प्रतिवादीगण के पेश हैं। प्रतिवादीगण संख्या 19 तहसीलदार जैतारण वादग्रस्त कृषि भूमि में लैण्ड होल्डर राज्य सरकार के प्रतिनिध हैं व तकासमा आराजी के वाद में आवश्यक पक्षकार होने से इस वाद में उन्हें पक्षकार बनाया गया हैं। उनके विरुद्ध कोई रिलीफ नहीं चाही गई हैं। बिनायवाद दिनांक 22/05/2010

उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

को वादी द्वारा प्रतिवादीगण को वादी के हिस्से की भूमि का बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस का कहने व प्रतिवादीगण द्वारा ऐसा करने से मना करने व वादी को उनके हिस्से की भूमि से बेदखल करने की एलानिया धमकी देने पर बमुकाम-बगतपुरा में पैदा हुआ, जो अन्दर म्याद हक अख्त्यार समायत अदालत बाला के हैं। इस प्रकार माफिक दावा वादी का वाद डिक्री किये जाने की ईश्तदुआ की हैं। इस प्रकार माफिक दावा वादी का वाद डिक्री किया जाकर वादी की भूमि का पक्षकारानों में बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस बंटवाड़ा किये जाने की ईश्तदुआ की हैं।

इस पर राजस्व वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण जरिए सम्मनस वास्ते जबाबदावा तलब किया गया। प्रतिवादीगण बावजूद तामिली / सूचना अनुपस्थित रहने से इनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही की गई।

पत्रावली राजस्व लोक अदालत अटल सेवा केन्द्र-रास में पेश हुई। बहस वकुलाय सुनी गई। वकील वादी ने दौराने बहस व्यक्त किया कि माफिक राजस्व रेकॉर्ड विवादित आराजी का वादी के हिस्से की भूमि का बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस करवाया जाने की ईश्तदुआ की हैं। पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। प्रस्तुत वाद-पत्र, एवं दस्तावेजात मय नजरी नक्शा का गहनतापूर्वक अध्ययन किया गया। वस्तुतः वादी स्वयं रिकॉर्डेड खातेदार काश्तकार दर्ज हैं, जिससे माफिक राजस्व रिकॉर्ड बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस उक्त विवादित भूमि का बंटवाड़ा करवाने के अधिकारी हैं, लिहाजा प्राथमिक डिक्री जारी की जाकर पक्षकारानों में वादी के हिस्से का बंटवाड़ा करवाया जाना उचित समझते हुए माफिक राजस्व रिकॉर्ड प्राथमिक डिक्री बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण इस आशय की सादिर की गई कि सरहद मौजा-बगतपुरा, तहसील-जैतारण में वाके आराजी खसरा नम्बर 2486 रकबा 4-11 बीघा किस्म चाही प्रथम, खसरा नम्बर 2487 रकबा 2-18 बीघा किस्म चाही प्रथम एवं खसरा नम्बर 2488 रकबा 1-14 बीघा किस्म चाही प्रथम, कुल किता-3 कुल रकबा 9-03 बीघा भूमि का जो राजस्व रेकर्ड में वादी एवं प्रतिवादीगण की सामलाती व कब्जे काश्त की हैं, बंटवाड़ा बाई मिट्स एण्ड बाँउण्डस करवाया जाकर खाता व लगान अलग-अलग दर्शाकर पत्थरगढ़ी /नेखमबन्दी करवाकर बंटवाड़ा रिपोर्ट मय नजरी नक्शा बनाया जाने हेतु एवं बंटवाड़ा रिपोर्ट मय नजरी नक्शा प्रस्तुत करने हेतु तहसीलदार, जैतारण को अधिकृत किया जाकर पत्रांक/कोर्ट/2017/964 दिनांक 04/08/2017 एवं 1336 दिनांक 13/10/2017 द्वारा आदेशित किया गया। तहसीलदार, जैतारण ने अपने पत्रांक /भू0अ0/17/4252 दिनांक 24/08/2017 द्वारा प्राथमिक डिक्री की पालना अर्थात् बंटवाड़ा रिपोर्ट /विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा सहित प्रस्तुत की, सा0मि0 की गई।

बहस वकील वादी सुनी गई। बहस के दौरान वकील वादी ने माफिक बंटवाड़ा रिपोर्ट विभाजन प्रस्ताव वादी का वाद डिक्री किया जाकर बंटवाड़ा किये जाने की ईश्तदुआ की हैं। पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया, बहस वकील वादी एवं पालना रिपोर्ट पर गौर किया। लिहाजा माफिक बंटवाड़ा रिपोर्ट /विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा वादी का वाद डिक्री किया जाकर बंटवाड़ा किया जाना उचित समझते हैं।

-:: आदेश ::-

अतः माफिक बँटवाड़ा रिपोर्ट मय नजरी नक्शा अंतिम डिक्री बहक वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण इस अमर की सादिर की जाती हैं कि सरहद मौजा-बगतपुरा, तहसील-जैतारण में वाके आराजी खसरा नम्बर 2486 रकबा 4-11 बीघा किस्म चाही प्रथम, खसरा नम्बर 2487 रकबा 2-18 बीघा किस्म चाही प्रथम एवं खसरा नम्बर 2488 रकबा 1-14 बीघा किस्म चाही प्रथम, कुल किता-3 कुल रकबा 9-03 बीघा की भूमि का बँटवाड़ा अर्थात् विभाजन निम्नांकित रूप से किया जाता हैं :-

उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

क्र. सं.	नाम खातेदारान मय वल्दियत व सकूनत	खसरा नम्बर	रकबा बीघा बिस्वा बिस्वांसी	किस्म	लगान
1	श्री सीमेन्ट लि. (रास प्रोजेक्ट जरिये अमरीश कुमार शर्मा मैनेजर (लैण्ड एक्जीक्यूशन) जाति–ब्राह्मण उम्र–53 वर्ष निवासी हाल – मैनेजर श्री सीमेन्ट लि., रास खातेदार।	2486/1	1-00-00	चा0प्र0	2.16 रू.
2	ललित सिकन्दर सुरज पि0 अना, ढ़गला पपूड़ा पि0 भवाना, किशना मदन पि0 नारा, तुलछी बेवा नारा हि0 204/815, सवाई छोटू पि0 मला, साबु दरियाव सुरेश पि0 चन्दू, दाखु पत्नि चन्दु, सेना जीना पुत्रियाँ चन्दु हि0 204/815, मेहफूल पत्नि चन्द्रा हि0 51/815, सकीना पुत्री खाजू, भीमा विजय पि0 कमा, हरी पुत्र जफरू, भीकम आलम प्रेम पि0 सायर कौम–मेरात सा0 देह, कमलकिशोर पुत्र नोरतमल कौम–छीपा सा0 तेजा चौक ब्यावर, प्रेमचन्द पुत्र नोरतमल कौम–जैन सा0 रीको कॉलोनी ब्यावर हि0 308/815, भीकम आलम प्रेम पि0 सायर हि0 51/815 कौम–मेरात सा0 देह खातेदार।	2486 2487 2488	3-11-00 2-18-00 1-14-00	चा0प्र0 चा0प्र0 चा0प्र0	17.58 रू.
	योग	**3**	**8-03-00**	**चा0प्र0**	**17.58 रू.**

तदनुसार राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद किया जावें। बंटवाड़ा रिपोर्ट /विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा निर्णय का एक भाग माना जावें। वादीगण के कब्जे काश्त में दखलन्दाजी करने से प्रतिवादीगण को जरिए स्थाई निषेधाज्ञा रोका जाता हैं। अन्तिम डिक्री पर्चा बनाया जाकर पत्रावलीबद्ध किया जावें। तहसीलदार जैतारण को डिक्री पर्चा मय विभाजन प्रस्ताव की प्रति भेजकर पालना मंगवाई जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर /लेख्य भण्डार जमा हो।

उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी,जैतारण
जिला–पाली (राज0)

निर्णय आज दिनाँक 16/10/2017 को सरे ईजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी,जैतारण
जिला–पाली (राज0)